

## क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम: राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष: Meeting Expenses for Adolescent Friendly Health Clubs

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या : A.4.5.6

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने किशोर-किशोरियों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार, सामान्य एवं बेहतर भविष्य को लक्ष्य मानकर किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस वित्तीय वर्ष में किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम पर दिलचस्पी बनाये रखने के लिए स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्तर पर Adolescent Friendly Health Clubs गठित करना है। उन Adolescent Friendly Health Clubs का मासिक बैठक करने की अनुमति प्रदान की गई है। इस आयोजन के माध्यम किशोरों से जुड़े विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा समस्या आदि के बारे जानकारी दी जायेगी। कार्यक्रम आरंभ से पहले सूक्ष्म योजना (Micro-plan) तैयार करें।

आवंटित धनराशि स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्तर पर Adolescent Friendly Health Clubs में आयोजित Peer Educators बैठक में जलपान हेतु उपयोग किया जाना है। प्रति बैठक रू० 125/- का प्रवाधान किया गया है। प्रखंड स्तर पर स्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के आधार पर इस धनराशि का आवंटन प्रखण्ड स्तर पर किया जाना है।

### क्रियान्वयन हेतु जिले एवं आवंटित धनराशि:

जिला	आवंटित धनराशि	स्वास्थ्य उपकेन्द्र की संख्या
गया	54625	437
सीतामढ़ी	26500	212
सहरसा	19000	152
कटिहार	43125	345
किशनगंज	17000	136
पूर्णियाँ	41750	334
कुल	202000	1616

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : डॉ० वाई० एन० पाठक  
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का मोबाईल नम्बर : 9470003829

